भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 169

(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया गया)

कंपनियों द्‌वारा सीएसआर निधियों का उपयोग

169. श्री बी. के. हरिप्रसाद :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व अनुपालन के अधीन ऐसी कुल कंपनियों की संख्या कितनी है जिनकी धनराशि का उपयोग नहीं हुआ है;
(ख) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सीएसआर निधियों का उपयोग आंशिक या पूर्ण रूप से किया है अथवा उपयोग ही नहीं किया है; और
(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उक्त कार्य कराती हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): कुल 4257 कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के आकलन से यह स्पष्ट होता है कि कंपनियों में सीएसआर के संबंध में निर्धारित राशि का लगभग 72% व्यय किया है। कंपनियों द्‌वारा सीएसआर व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

सीएसआर व्यय का रेंज	**कंपनियों की संख्या**
निर्धारित सीएसआर से अधिक	621
निर्धारित सीएसआर के बराबर	400
निर्धारित सीएसआर के 66% से 99% तक	261
66% से कम	624
कोई सीएसआर व्यय नहीं करने वाली	2351
कुल कंपनियां	**4257**

(ग): इनमें से, 776 कंपनियों ने सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सेवाएं ली हैं।

*****